

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 3/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :- रवि कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति रेगर निवासी गली नं05 गुरुनानक बस्ती
पुलिस थाना जवाहर नगर, जिला श्रीगंगानगर ।

----- अपीलान्ट

--- बनाम ---

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

----- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :- ज्ञानसिंह
चतुर्भुज शर्मा

अभिभाषक अपीलान्ट
सहायक लोक अभियोजक
राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16-1-2019

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.9.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.2.2014 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी रवि कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति रेगर निवासी गली नं05 गुरुनानक बस्ती पुलिस थाना जवाहर नगर, जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, गैरसायल का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसके विरुद्ध जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 5 प्रकरण दर्ज हुए तथा सभी 5 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।
3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.2.14 को अपीलान्ट के निमित्त अनुसूची प्रपत्र-1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 4.3.14 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 11.3.2014 को अपीलान्ट द्वारा जवाब इस्तगासा हेतु अवसर चाहा


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया एवं दिनांक 14.3.14 को जवाब पेश किया गया । अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के पश्चात् अभियोजन पक्ष की साक्ष्य बन्द कर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने दिनांक 24.9.18 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिद्ध मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना कोटगेट, बीकानेर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय बीकानेर में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 24.9.18 के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।
5. अभिभाषक अपीलान्ट का अपनी बहस में कथन है कि अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैबलिंग अधिनियम के तहत पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा रंजिश के कारण दर्ज किये गये थे, जिनका अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय की समझाईस एवं लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है । अपीलार्थी के विरुद्ध परिवाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा इस्तगसा प्रस्तुत होने के पश्चात 4 वर्ष की अवधि के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी साक्षी उपस्थित नहीं हुआ है । अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी स्वतंत्र साक्षी अधीनस्थ न्यायालय में परिक्षित नहीं करवाया है । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध अपना परिवाद साबित करने में असफल रहा, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । प्रार्थी अपीलान्ट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिसके कारण किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को खतरा या नुकसान हो रहा हो । प्रार्थी अपीलान्ट शान्तिप्रिय एवम् मजदूरी पेशा व्यक्ति है, जिस पर अपने माता पिता, पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारियां हैं । अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.9.18 निरस्त फरमाया जावे ।
6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 5 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालय द्वारा सभी 5 प्रकरणों में अपीलान्ट को सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 14.2.14 एवम् बयान गवाह प्रेमकुमार, राजकुमार के अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है । मौहल्ले के लोगों को धमकाता है, जिसके कारण से मोहल्ले में


सहायक अभियोजक
बीकानेर

भय बना हुआ है तथा लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 18.2.14 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध जुआ अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत निम्नलिखित 5 मुकदमे दर्ज होकर न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :-

क्र.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	64/8.2.2018	13 RPGO	12.2.18	सजा 100/- जुर्माना
2	79/12.2.13	13 RPGO	19.3.13	सजा 100/- जुर्माना
3	169/20.3.13	13 RPGO	9.4.13	सजा 100/- जुर्माना
4	192/5.4.13	13 RPGO	16.4.13	सजा 100/- जुर्माना
5	412/3.8.13	13 RPGO	13.8.13	सजा 100/- जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तों का होना आवश्यक है :-

9. क- वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख- (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट

किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।


ग- साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के

कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2-ख(5) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 5 मुकदमे दर्ज हुए एवम् सभी 5 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (5) अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में नकल रपट रोजनामचा आम दिनांक 14.2.14 एवं मोहल्ले के बयान गवाह श्री प्रेमकुमार एवं राजकुमार के अनुसार अपीलान्ट सरे आम जुआ सट्टे करने का आदि है, जिससे मोहल्ले में निवास करने वाले लोगों में भय बना हुआ है, इस कारण इनके विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने या गवाही देने से डरते हैं। अपीलार्थी सट्टा की खाईवाली करने का आदि है । गैर सायल के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के 5 प्रकरण दर्ज हुए एवम् सभी में सजायाब है । गैर सायल का आमजन में भय व्याप्त है, जिसके कारण आमजन इसके विरुद्ध सूचना देने में घबराता है । प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया है ।


संभागीय अभ्युक्त
बीकानेर

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (5) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है। रपट रोजनामचा व गवाहों के अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है। अपीलार्थी का लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्त क विरुद्ध शिकायत करने से डरते हैं। अपीलान्त के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है। इस प्रकार अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्त को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला बीकानेर में थानाधिकारी, पुलिस थाना कोटगेट, बीकानेर को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर अपीलार्थीन आदेश दि० 24.9.18 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।
12. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.1.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर